समाहरणालय, बेगूसराय

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत बेगूसराय जिला में अवस्थित उच्च विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों में बेंच/डेस्क आपूर्त्ति हेतु मुहरबंद अल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदादाता दिनांक-10/04/2017 को अपराह्न 01:00 बजे तक अपनी निविदा जिला योजना कार्यालय, बेगूसराय में समर्पित कर सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

निविदा निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है :-

क्र0	सामग्री का नाम	आकार	विशिष्टताएँ
1	2	3	4
01	**बेन्च**-लोहा का फ्रेम चौकोर 16 गेज, सवा इंच एवं आम की लकड़ी का पट्रा।	60 इंच X 18 इंच X 10 इंच	(i) पौवा - 18 इंच X सवा इंच X सवा इंच - चार (ii) लेग सहित पाशी - 60 इंच X सवा इंच X सवा इंच - तीन (iii) साईड पाशी - 07 इंच X सवा इंच X सवा इंच - तीन (iv) पटरा आम का- 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच - एक
02	**डेस्क**-लोहा का फ्रेम चौकोर 16 गेज, सवा इंच एवं आम की लकड़ी का पट्रा।	60 इंच X 30 इंच X 14 इंच	(i) पौवा - 30 इंच X सवा इंच X सवा इंच - चार (ii) लेग सहित पाशी - 60 इंच X सवा इंच X सवा इंच - तीन (iii) साईड पाशी - 10 इंच X सवा इंच X सवा इंच - पाँच (v) पट्रा आम का - 60 इंच X 10 इंच X 01 इंच - एक (v) पटरा आम का - 60 इंच X 04 इंच X 01 इंच - एक

2. निविदा दो भागों में रहेगी - (क) तकनीकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा। तकनीकी निविदा में सभी आवश्यक कागजात रहेंगे तथा वित्तीय निविदा में सामानों का दर सभी कर सहित रहेगा, साथ ही दोनों निविदा लिफाफा को एक बड़े लिफाफे के अंदर डालकर मुहरबंद (सीलबंद) कर देना होगा।
3. निविदा के साथ वाणिज्यकर विभाग एवं आयकर विभाग का निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न रहेगा।
4. विगत तीन वर्षो का Income Tax Return File सम्बन्धी कागजात देना होगा।
5. आयकर पैनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
6. निविदा के साथ सुरक्षित राशि के रूप में मो0 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये का बैंक ड्रॉफ्ट ''जिला योजना पदाधिकारी, बेगूसराय'' के पदनाम से संलग्न करना होगा।
7. बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के अंतर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता को आयकर विभाग का विगत तीन वर्षो का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा जिसमें कम से कम 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रूपये प्रति वर्ष टर्नओभर होना चाहिए।
9. वित्तीय वर्ष 2016-17 का चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
10. निविदादाता को इस आशय का मूल शपथ-पत्र देना होगा कि उनका फर्म किसी सरकारी/गैर सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है। काली सूची में दर्ज प्रतिष्ठान को निविदा की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
11. सामग्री की आपूर्त्ति संबंधित विद्यालयों तक पहुँचाकर करनी होगी इसके लिए अलग से कोई भाड़ा देय नहीं होगी।
12. आपूर्त्ति सामग्री पर वैट/आयकर की कटौती स्त्रोत पर की जायेगी।
13. सामग्री की आपूर्त्ति आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर करनी होगी, अन्यथा जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. बेंच/डेस्क का नमूना निविदा खोलने के समय लाना अनिवार्य है।
15. समरूप कार्य का कम से कम तीन वर्षो का अनुभव होना चाहिए।

16. वैसे निविदादाता/आपूर्त्तिकर्त्ता जिन्हें सरकारी संस्थानों में उक्त सामग्री आपूर्त्ति करने का अनुभव प्रमाण–पत्र हो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

17. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बेगूसराय न्यायालय होगा।

18. निविदा की तारीख के पूर्व प्रशासनिक कारणों से निविदा रद्द/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

15/3/17
जिला योजना पदाधिकारी,
बेगूसराय।

17/3/17
उप विकास आयुक्त,
बेगूसराय।

18/3
जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।